अध्याय- XV : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

15.1 सरकारी आवासों की अनाधिकृत कब्जे की निगरानी में विफलता

कर्मांचारी राज्य बीमा निगम की अपने आवासीय परिसरों के अनाधिकृत कब्जे की निगरानी में विफलता का परिणाम ₹0.42 करोड़ के लाइसेंस शुल्क तथा हर्जाने प्रभार की गैर वसूली में हुआ।

पंजाब सरकार के दस कर्मचारी जो कि कर्मचारी राज्य बीमा, निगम, (ईएसआईसी) अस्पताल लुधियाना में प्रतिनियुक्ति पर थे, उन्हे 28 फरवरी 2010 से अपने मूलविभागों में प्रत्यावर्तित किया गया था। नियमानुसार इन प्रत्यावर्तित कर्मचारियों को कार्यमुक्ति की तारीख से दो माह के अंदर ईएसआईसी आवास, जिसमें वे रह रहे थे, को खाली करना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2016) कि इनमें से पांच कर्मचारियों ने 56 से लेकर 73 माह तक की देरी के पश्चात सरकारी आवास खाली किया। शेष पांच कर्मचारियों ने 6 वर्ष की देरी के पश्चात भी सरकारी आवास खाली नहीं किया। पूरी अवधि के दौरान, ईएसआईसी अनाधिकृत कब्जा करने वालों से खाली कराने तथा नोटिस जारी करने हेतु कोई कार्रवाई करने में विफल रहा। अदत्त लाइसेंस शुल्क तथा हर्जाना किराया ₹0.42 करोड़ (नवम्बर 2016 तक) था।

उत्तर में, इएसआईसी, लुधियाना ने बताया (दिसम्बर 2016) कि सभी पांच अनाधिकृत कब्जा करने वालों को बेदखली आदेश जारी किए गए थे तथा बकाया वसूली की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

यह मामला श्रम रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार तथा महानिदेशक ईएसआईसी, नई दिल्ली के पास सितम्बर 2016 को भेजा गया; उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित है।